अपीलार्थी रूपाराम / सुरेन्द्र कुमार अपील संख्या - 09/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

03.11.2025

प्रार्थी एवं अभिभाषक प्रार्थी ने उपस्थित होकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिविल रिट नंबर 4536/2023 के आदेश की प्रति पेश की, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तिथि निर्धारण के निर्देश दिए। तदानुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जरिये वकालतनामा उपस्थित, जिसे शामिल पत्रावली किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थी के साथ आपसी समझौता होने के कारण प्रार्थी उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता तथा इस कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप करवाना चाहता है, जिस पर अप्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी अनापति जाहिर की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 03.04.2024 की पालना में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्रार्थी के साथ आपसी समझौता हो गया है। प्रार्थी उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता तथा इस कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप करवाना चाहता है, जिस पर अप्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी अनापति जाहिर कर दी है। उक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर